

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

“प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023”

पीठासीन अधिकारी- अर्चना बुगालिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
29 / 2019

दायर दिनांक
03.05.2019

निर्णय दिनांक
06.06.2023

अनवान

1. श्यामलाल पिता मथरालाल ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. रामलाल पिता भीमा गाडरी आयु वयस्क निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. ओमप्रकाश पिता नाथुलाल मेनारिया आयु वयस्क निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थीगण


—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम ::—

—:: निर्णय ::—

पत्रावली आज दिनांक को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 में राजीव गांधी सेवा केन्द्र करजाली में पेश हुई। हाजिर वकील प्रार्थी ने बहस एक तरफा बाबत् निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस सुनी गई। जिसमें वकील प्रार्थी ने बताया की मामला पत्थरगढ़ी का है, जिसमें प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहता है, प्रार्थी ने बताया कि मौजा करजाली पटवार हल्का करजाली तहसील कपासन में स्थित आराजी संख्या 3840/3471 रकबा 1.08 है0 कृषि भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है, प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहता है। चूंकि पक्षकारान के आराजीयात के मध्य निशानात नहीं होने से प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद बना रहता है, अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजीयात में अन्दर घुस जाते है व घुसने का प्रयास करते है। जिससे पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराया जाना आवश्यक है। सबुत में हाल जमाबन्दी की नकल पेश की है। अतः प्रार्थी की आराजीयात की पुख्ता पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया व प्रार्थी को सुना। प्रस्तुत खाते की नकल सम्वत् 2074 – 2077 तक के मुताबिक उपरोक्त वर्णित आराजीयात के खाता संख्या 670 में प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहता है, जिससे पक्षकारान के विवाद नहीं रहें व विवाद समाप्त हो जावे। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मौजा करजाली पटवार हल्का करजाली तहसील कपासन में स्थित आराजी संख्या 3840/3471 रकबा 1.08 है0 कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर

उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/- रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।



(अर्चना बुगालिया)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन